प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 18.02.2024

बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कार्यरत कर्मियों से गठजोड़ कर मरीजों को गलत व अवैधानिक रूप से रोकने व प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर अन्यत्र नर्सिंग होम/प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराने तथा लोगों से धन उगाही करने के आरोप में 08 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को परादर्शी व जनता के लिये सुविधाजनक बनाने तथा मरीजों से हो रही धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष रामगढ़ताल **मय** पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-99/2024 धारा-417/420/386/188/342/336/406/120बी भादवि से संबंधित अभियुक्त 1.अमन यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम व पोस्ट रियांव थाना गगहा जनपद गोरखपुर 2.नितिन यादव उर्फ सोनू पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम व पोस्ट रियांव थाना गगहा जनपद गोरखपु 3.रणन्जय प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी 15,पार्वती नगर पोस्ट न्यू शिवपुरी कालोनी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर 4.दिनेश कुमार पुत्र बिकानू प्रसाद निवासी बिस्तुई थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर 5.दीपू पुत्र स्व0 बाबू राम निवासी झुंगिया मडिला बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 6. इन्द्रजीत पुत्र विरन्द्र यादव निवासी पुरैया पोस्ट गुलरिहा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर 7.सार्थक श्रीवास्तव पुत्र उपेन्द्र श्रीवास्तव निवासी सिंहासनपुर गायत्रीनगर 26वीं वाहिनी पीएसी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 8.दीपक गुप्ता उर्फ दीपू पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी निवासी झुंगिया मडिला बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाक 17.02.2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर व उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला प्रशासन की सूचना पर ईशू हारिपटल रुस्तमपुर रोड पैडलेगंज स्थित नर्सिंग होम के पंजीकरण व मानकों की जाँच की गयी जांच के दौरान हास्पिटल में 03 मरीज भर्ती पाये गये परन्तु मौके पर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं मिले। हास्पिटल में मात्र पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे जिनकी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी है। पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा यह बताया गया कि उक्त हास्पिटल रेनू पत्नी नितिन यादव पुत्र श्री शेष कुमार यादव द्वारा संचालित किया जाता है तथा अस्पताल डा0 रणंजय प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से पंजीकृत है। हास्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तीनों मरीज पहले बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराने हेतु गये थे जहाँ पर अभियुक्तों द्वारा मिलकर बीआरडी मेडिकल कालेज में मरीजों की उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के ना होने की बात कहकर विश्वास में लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराने हेतु प्रेरित किया गया। जिसके बाद तीमारदारों को बरगलाकर मरीज को ईशू, हास्पिटल रुस्तमपुर में अच्छी व्यवस्था का झांसा देकर निजी एम्बुलेन्स से भर्ती कराया गया। ईशू हास्पिटल में भर्ती कराने के उपरान्त हास्पिटल संचालक के साथ अभियुक्तो द्वारा मिलकर तीमारदारों से लाखो रुपये जमा करा लिया गया तथा बाद में मरीज को वहां पर कोई डाक्टर अटेन्ड नही करने पर मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। परिजन बार-बार डाक्टर को बुलाने की बात कह रहे थे परन्तु हास्पिटल संचालक, रेनू व उनके पति नितिन व नितिन के भाई अमन स्वयं मरीज को देख रहे थे, कोई डाक्टर एवं चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज की मृत्यु हो गयी परन्तु निजी अस्पताल के संचालक नितिन व अमन द्वारा मृतक के मुँह में आक्सीजन मास्क मृतक को जीवित बताकर संचालक द्वारा ऑक्सीजन लगाकर रूपया, दवा व इन्जेक्शन के लिये धोखे से रूपया लिये जा रहे थे। जबकि मरीज की मृत्यु पहले हो चुकी थी। अन्य 02 मरीजों से भी दवा व इन्जेक्शन के नाम पर काफी पैसा ले चुके। उपरोक्त तीमारदारों के कथन के उपरान्त समस्त विषय वस्तुओं पर गोपनीय जाँच व पूछताछ व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि दीपू, मनोज, अजीत, अमन, अजय व इन्द्रजीत दूसरा (व्यक्ति) अस्पतालों की दलाली करते हैं। अस्पताल संचालक रेनू उनके पति नितिन व नितिन के भाई अमन , बीआरडी के ट्राली मैन दिनेश व अन्य भी शामिल है। यह सभी आपसी दुष्प्रेरण करते हुए बीआरडी से मरीजों को गेट पर ही ट्राली मैन व अन्य की सहायता से अन्य निजी हास्पिटल में लाकर भर्ती कराते हैं और उसके बदले अस्पताल संचालक इन्हे आर्थिक लाभ देते है।

मरीज को ठगने का तरीका-

मरीजों को सरकारी एम्बुलेन्स द्वारा बी.आर.डी मेडिकल कॉलेज में इमरजेन्सी में लाया जाता है। इमरजेन्सी के आस पास पहले से सक्रिय दलाल, जिन्हे वहाँ मौजूद कर्मी जैसे की गार्ड,ट्राली मैन द्वारा सहयोग दिया जाता है , मौजूद रहते है। जैसे ही मरीज एम्बुलेन्स से उतरता है वह इमरजेन्सी वार्ड में भेजा जाता है , तो दलाल मरीज को चारों तरफ से घेर लेते है। जब तक मरीज का तिमारदार पर्चा बनवाकर इमरजेन्सी में मरीज के पास पहुंचता है तब तक ये दलाल मरीज व उसके परिजनों को भय दिखाकर अपने झाँसे में लेने की कोशिश कर रहे होते है। ये दलाल अक्सर मरीज के परिजनों को अस्पताल में अच्छी सुविधाएँ न होना, आई.सी.यू में बेड उपलब्ध न होना व इमरजेन्सी में

बेड उपलब्ध न होना का भय दिखाते हुए उन्हे बताते है कि उन्हे प्रतिष्ठित अस्पतालों का प्रस्ताव देते है। इस तरह मरीज व उसके परिजनो को झांसे में लेने के बाद ये दलाल वहीं मेडिकल परिसर के आस पास मौजूद निजी एम्बुलेन्स गैंग के सरगनाओं को सूचित करते है कि वह इस मरीज को आकर ले जा सकते है। इस सूचना के मिलने के उपरान्त निजी एम्बलेन्स गैंग के सरगना अपने मातहत किसी ड्राइवर व अन्य कर्मियों को इमरजेन्सी के पास एम्बुलेन्स लेकर भेजते है। यहाँ से यह निजी एम्बुलेन्स मरीज को बी.आर.डी मेडिकल कॉलेज से अन्यत्र अस्पतालों की तरफ लेकर चल देती है। इस अपराध में संलिप्त सभी व्यक्तियों का एकमात्र ध्येय इस मरीज को निजी अस्पतालो में भेजना होता है ,जो मरीज के बदले में इन्हे मोटी रकम, जो कि 10 से 25 हजार के बीच में होती है। जैसे ही यह एम्बुलेन्स मरीज को लेकर बी.आर.डी मेडिकल कॉलेज के बाहर निकलती है तो एम्बुलेन्स के अन्दर मौजूद व्यक्ति जो इस गिरोह का सदस्य होता है मरीज को पुनः बरगलाने का प्रयास करता है व कहता है कि प्रतिष्ठित अस्पताल काफी महंगे है और उसमें सुविधाएं भी उतनी अच्छी नहीं है अतः मैं आपको कुछ अच्छे अस्पताल बता रहा हूँ आप उसमें चलिये जहाँ आपका बेहतर ईलाज होगा। इसके बाद वह व्यक्ति इन्हे उन निजी अस्पतालो का ब्यौरा देता है जिसके मालिक इनके इस गिरोह में शामिल है। इस प्रकार एक भोले भाले पीडित मरीज को ये सभी व्यक्ति सामूहिक रुप से ठगकर निजी अस्पताल में भेज देते है जहाँ न तो कोई सुविधा उपलब्ध होती है व मरीजो से ईलाज के नाम पर बहुत मोटी रकम वसूली जाती है। मरीज भर्ती होने के 24 से 72 घण्टे के बाद निजी अस्पताल मालिक द्वारा मरीज भर्ती कराने के एवज में एम्बुलेन्स गैंग के सरगना को मुख्यतः नगद व कुछ एक अवसरों पर ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अमन यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम व पोस्ट रियांव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2.नितिन यादव उर्फ सोनू पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम व पोस्ट रियांव थाना गगहा जनपद गोरखपु
3.रणन्जय प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी 15,पार्वती नगर पोस्ट न्यू शिवपुरी कालोनी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4.दिनेश कुमार पुत्र बिकानू प्रसाद निवासी बिस्तुई थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
5.दीपू पुत्र स्व0 बाबू राम निवासी झुंगिया मडिला बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
6. इन्द्रजीत पुत्र विरन्द्र यादव निवासी पुरैया पोस्ट गुलरिहा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
7.सार्थक श्रीवास्तव पुत्र उपेन्द्र श्रीवास्तव निवासी सिंहासनपुर गायत्रीनगर 26वीं वाहिनी पीएसी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
8.दीपक गुप्ता उर्फ दीपू पुत्र दीनानाथ गुप्ता निवासी निवासी झुंगिया मडिला बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-99/2024 धारा-417/420/386/188/342/336/406/120बी भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. **थानाध्यक्ष इत्यानन्द पाण्डेय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर**
2. **प्रभारी एस.ओ.जी मधुप नाथ मिश्रा जनपद गोरखपुर मय एस.ओ.जी. टीम**
3. **प्रभारी स्वाट मनीष कुमार यादव मय स्वाट टीम**
4. उ0नि0 प्रदीप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी आजाद नगर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. उ0नि0 विनय कुमार सिंह चौकी प्रभारी चिडियाघर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
6. हे0का0 ज्ञानधारी पाल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
7. हे0का0 सर्वजीत यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
8. हे0का0 मिथिलेश बहादुर सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
9. का0 दीपक कुमार सैनी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
10. का0 नीतीश कुमार गौड़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
11. का0 संदीप कुशवाहा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर